FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, पूगल** मुकाम पूगल

बलवीरसिंह **बनाम** **1.तरसेम सिंह**

2. उप–पंजीयक पूगल

3. तहसीलदार पूगल

किस्म मुकदमा राजस्व प्रा. पत्र नंबर ....17 सन – 2019

अ.धारा 212 R.T.A.,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिलयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.06.19	यह राजस्व प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री फुमनसिंह, एडवोकेट द्वारा पेश किया गया। सरिस्ते से रिपोर्ट हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को इकतरफा सुना गया। प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वादगत भूमि वाके ग्राम पूगल के चक 3 एडीएम के मु.न. 185/32 की कुल 12.10 बीघा भूमि वादी के नाम व 8.06 बीघा अप्रार्थी तरसेमसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति अप्रार्थीगण का जवाब आने तक बनाकर रखी जावे। अप्रार्थीगण को इसमें कोई आपत्ति हो तो आगामी पेशी पर असालतन या वकालतन उपस्थित होकर पेश करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी आइन्दा दिनांक 17.07.19 को पेश हो। [signature]	
15/07/19	पत्रावली आज प्रार्थी के आवेदन पर पेशी में ली गई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील उपस्थित हुए। प्रार्थी द्वारा दावे को आगे न चलाकर इसी स्टेज पर खारिज करने हेतु आवेदन किया गया। जिसके आधार पर वाद पत्र को आज दिनांक 15/07/19 को खारिज किया गया। वाद पत्र के खारिज होने के कारण प्रा० पत्र का कोई औचित्य नहीं रहता अतः दावे के साथ-साथ प्रा० पत्र को भी आज 15/07/19 को खारिज किया जाता है। पत्रावली प्रा० पत्र रजि० से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

उपखण्ड अधिकारी
पूगल (बीकानेर)

Scanned by CamScanner